

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 357/2023

अनवान : -

1. श्योचन्द पुत्र अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. गिरधारी पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
3. नानुराम पुत्र जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
4. बनवारीलाल पुत्र ठाकरराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।

- वादीगण

बनाम्

1. जड़ाव पत्नी बिरजा जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. भंवरा पुत्र बिरजा जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. रामनिवास पुत्र राजुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. गीता पत्नी राजुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. कृष्णा पुत्री राजुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

- असल प्रतिवादीगण

8. सजना पत्नी अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
9. कालुराम पुत्र अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
10. तीजा पुत्री अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
11. माली पुत्री अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
12. पन्ना पुत्री अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
13. कमलेश पुत्री अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
14. मोहिनी पुत्री अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
15. मन्जू पुत्री अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
16. सोहन पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
17. सीताराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
18. गुडी पुत्री केसराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
19. तारावती पुत्री केसराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
20. धापा पुत्री केसराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
21. बीमा पुत्री केसराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
22. सिलोचना पुत्री केसराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
23. रामप्रताप पुत्र जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
24. ओम प्रकाश पुत्र जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
25. शंकरलाल पुत्र जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
26. महावीर पुत्र जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
27. जगदीश पुत्र जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
28. बलराम पुत्र जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

29. कमला पुत्री जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
30. सन्तरो पुत्री जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
31. मैना पत्नी सोहनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
32. हंसराज पुत्र सोहनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
33. कालुराम पुत्र सोहनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
34. बजरंग पुत्र सोहनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
35. सीता पुत्री सोहनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
36. चुनी पुत्री मनीराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
37. बेगराज पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
38. अमरसिंह पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
39. विनोद पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
40. इन्द्रा पुत्री मनीराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
41. सिलोचना पुत्री मनीराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
42. मुन्नी पत्नी ठाकरराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
43. शिशपाल पुत्र ठाकरराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
44. कालुराम पुत्र ठाकरराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
45. विमला पुत्री ठाकरराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
46. कमला पत्नी लादुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
47. महेन्द्र पुत्र लादुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
48. हरिराम पुत्र लादुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
49. कृष्णा पुत्री लादुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
50. राणी पुत्री लादुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

— तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान
काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 05/02/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2031-34 के खसरा नं. 6 की 4.5910 है0, खसरा नं. 100 की 2.024 है0 भूमि वादीगण के पड़दाता मानाराम पुत्र चेतन जाति नायक निवासी खुईया के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड थी। उपरोक्त भूमि वादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्मजात हक हिस्सा है।

वादीगण के दादा मानाराम पुत्र चेतन का स्वर्गवास हो चुका है तथा रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2031-34 के खसरा नं. 6 की 4.5910 है0, खसरा नं. 100 की 2.024 है0 भूमि वादीगण दादा के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड दर्ज थी जिसका

विरास्तन इन्तकाल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व राजु ने विधि विरुद्ध अपने नाम दर्ज करवा ली जिसका विरास्तन इन्तकाल संख्या 149 मंजूर हुआ। नकल नामान्तरण संलग्न वाद है एवं रोही मौजा खुईयां के खसरा नं. 124 की 1.2650 है0, 396 की 4.3640 है0, 465 की 10.2470 है0, 466 की 6.5780 है0, 640 की 3.4530 है0, 707 की 11.1450 है0, 787/729 की 3.1750 है0, 788/1740 की 0.3160 है0 भूमि वादी के दादा मानाराम के नाम दर्ज थी जिसका विरास्तन नामान्तरण संख्या 24 सही दर्ज किया गया जिसमें सभी वारिसों के नाम भूमि दर्ज की गई।

उपरोक्त भूमि में वादी संख्या 1 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 8 से 15 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 16 ता 22 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 3 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 23 ता 30 प्रत्येक का 1/55 हिस्सा, तरतीवी प्रतिवादी संख्या 31 ता 35 का संयुक्त रूप से 1/55 हिस्सा, तरतीवी प्रतिवादी संख्या 36 ता 41 का संयुक्त रूप से 1/55 हिस्सा, वादी संख्या 4 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 42 ता 45 प्रत्येक का 1/30 हिस्सा, तरतीवी प्रतिवादी संख्या 46 ता 50 का संयुक्त रूप से 1/30 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक का 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के काश्तकार है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार वादी राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। अधिवक्ता वादी ने तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 8 ता 50 को तर्क अंकित किया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जिसमें वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी सं0 8 ता 50 का प्रतिवादी सं0 1 ता 5 के साथ जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण अपने हिस्सा अनुसार अपने हकों की घोषणा करवाना चाहता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद के संबंध में इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

01
उपस्यण्ड अधिकारी
नोडर

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 60/59 की के खसरा न0 6 की 4.5910 हैक्ट व खसरा न0 100 की 2.024 हैक्ट कुल 6.6150 हैक्ट भूमि प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से दादालाई कृषि भूमि होना साबित है तथा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा इकबाल पेश किया गया है की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। अतः वादीगण के वाद को प्रतिवादी स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के राजीनामा के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 60/59 के खसरा नं. 6 की 4.5910 है0, खसरा नं. 100 की 2.024 है0 भूमि में वादी संख्या 1 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 8 से 15 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार व वादी संख्या 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 16 ता 22 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार व वादी संख्या 3 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 23 ता 30 प्रत्येक के 1/55 हिस्सा भूमि के खातेदार एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 31 ता 35 के संयुक्त रूप से 1/55 हिस्सा भूमि के खातेदार एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 36 ता 41 के संयुक्त रूप से 1/55 हिस्सा भूमि के खातेदार एवं वादी संख्या 4 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 42 ता 45 प्रत्येक के 1/30 हिस्सा भूमि के खातेदार एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 46 ता 50 के संयुक्त रूप से 1/30 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 संयुक्त रूप से 1/15 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/02/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या – 357 / 2023

अनवान : –

1. श्योचन्द पुत्र अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
2. गिरधारी पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
3. नानुराम पुत्र जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
4. बनवारीलाल पुत्र ठाकरराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम्

1. जड़वा पत्नी बिरजा जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भंवरा पुत्र बिरजा जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. रामनिवास पुत्र राजुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. गीता पत्नी राजुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. कृष्णा पुत्री राजुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
7. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– असल प्रतिवादीगण

8. सजना पत्नी अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. कालुराम पुत्र अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. तीजा पुत्री अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
11. माली पुत्री अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. पन्ना पुत्री अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. कमलेश पुत्री अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. मोहिनी पुत्री अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
15. मन्जू पुत्री अणदुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
16. सोहन पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
17. सीताराम पुत्र केसराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
18. गुडी पुत्री केसराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
19. तारावती पुत्री केसराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
20. धापा पुत्री केसराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
21. बीमा पुत्री केसराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
22. सिलोचना पुत्री केसराराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
23. रामप्रताप पुत्र जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
24. ओम प्रकाश पुत्र जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।
25. शंकरलाल पुत्र जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर।

०१
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

26. महावीर पुत्र जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
27. जगदीश पुत्र जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
28. बलराम पुत्र जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
29. कमला पुत्री जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
30. सन्तरो पुत्री जगमाल जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
31. मैना पत्नी सोहनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
32. हंसराज पुत्र सोहनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
33. कालुराम पुत्र सोहनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
34. बजरंग पुत्र सोहनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
35. सीता पुत्री सोहनराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
36. चुनी पुत्री मनीराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
37. बेगराज पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
38. अमरसिंह पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
39. विनोद पुत्र मनीराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
40. इन्द्रा पुत्री मनीराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
41. सिलोचना पुत्री मनीराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
42. मुन्नी पत्नी ठाकरराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
43. शिशपाल पुत्र ठाकरराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
44. कालुराम पुत्र ठाकरराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
45. विमला पुत्री ठाकरराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
46. कमला पत्नी लादुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
47. महेन्द्र पुत्र लादुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
48. हरिराम पुत्र लादुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
49. कृष्णा पुत्री लादुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
50. राणी पुत्री लादुराम जाति नायक निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 357 सन 2023 निर्णय दिनांक - 05/02/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं परोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2076-79 के खाता संख्या 60/59 के खसरा नं. 6 की 4.5910 है0, खसरा नं. 100 की 2.024 है0 भूमि में वादी संख्या 1 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 8 से 15 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा के खातेदार व वादी संख्या 2 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 16 ता 22 का संयुक्त रूप से 1/5 हिस्सा भूमि के खातेदार व वादी संख्या 3 व

01
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

तरतीवी प्रतिवादी संख्या 23 ता 30 प्रत्येक के 1/55 हिस्सा भूमि के खातेदार एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 31 ता 35 के संयुक्त रूप से 1/55 हिस्सा भूमि के खातेदार एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 36 ता 41 के संयुक्त रूप से 1/55 हिस्सा भूमि के खातेदार एवं वादी संख्या 4 व तरतीवी प्रतिवादी संख्या 42 ता 45 प्रत्येक के 1/30 हिस्सा भूमि के खातेदार एवं तरतीवी प्रतिवादी संख्या 46 ता 50 के संयुक्त रूप से 1/30 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 प्रत्येक के 1/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 संयुक्त रूप से 1/15 हिस्सा भूमि के खातेदार काशतकार घोषित किये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर